

क्रेता

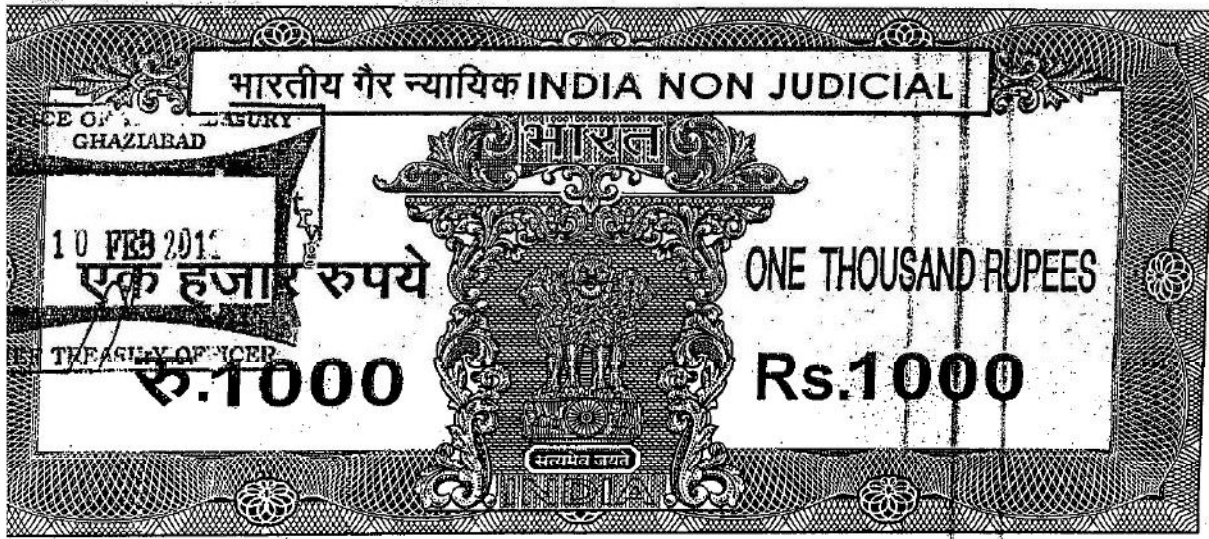
Registration No.: 860

Year: 2,011

Book No.: 1

0201 मै0 अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स प्रा0 द्वारा सुभाष चन्द आहुजा
के0 एल आहुजा
10 न्यू राजधानी एन्क0 विकास मार्ग दिल्ली
व्यापार/अन्य/स्त्री





प्रदेश UTTAR PRADESH

P 975986

(4)

मैसर्स सोनेक्स प्रोजेक्ट प्रा० लि०, 17बी आसफ अली रोड, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री होराम सिंह निवासी-61 न्यू आर्य नगर गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद (रेजूलेशन दिनांक 07-02-2011) प्रथम पक्ष विक्रेता। (कम्पनी को पेन नंबर AAJCS2241M)

एवं

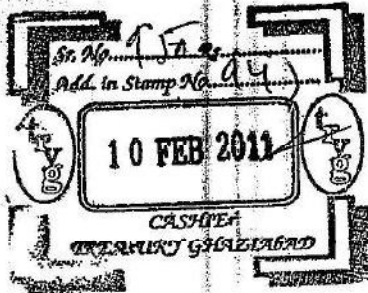
मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लि० पंजीकृत कार्यालय 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुभाषचन्द आहूजा पुत्र स्व० श्री के. एल. आहूजा, 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 (फरीक दोयम/क्रेता)। (कम्पनी का पेन नंबर AAACA2789D)

Director/ Auth. Signatory

For Agarwal Associates

Authorized Signatory







CHIEF TREASURY OFFICER
OFFICE OF THE CHIEF TREASURY OFFICER
GHAZIABAD
10 FEB 2011
UTTAR PRADESH

N 391861

(5)

- विदित हो कि उपरोक्त वर्णित भूमि स्थित ग्राम शाहपुर बम्हेटा को हम (कम्पनी उपरोक्त) प्रथम पक्ष/विक्रेता ने यह भूमि विजयपाल सिंह पुत्र बिशम्बर, निवासी शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद से बजरिये बैनामा संख्या 4085 दिनांक 19.07.2005 जिसकी जिल्द नंबर 6125 पृष्ठ संख्या 247-320, सबरजिस्ट्रार-प्रथम, गाजियाबाद पर अंकित है खरीदी है और तदनुसार वर्तमान भू-अभिलेखों में कम्पनी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है और उसी अनुसार हम मालिक व काबिज है और विक्रय अधिकारी है।

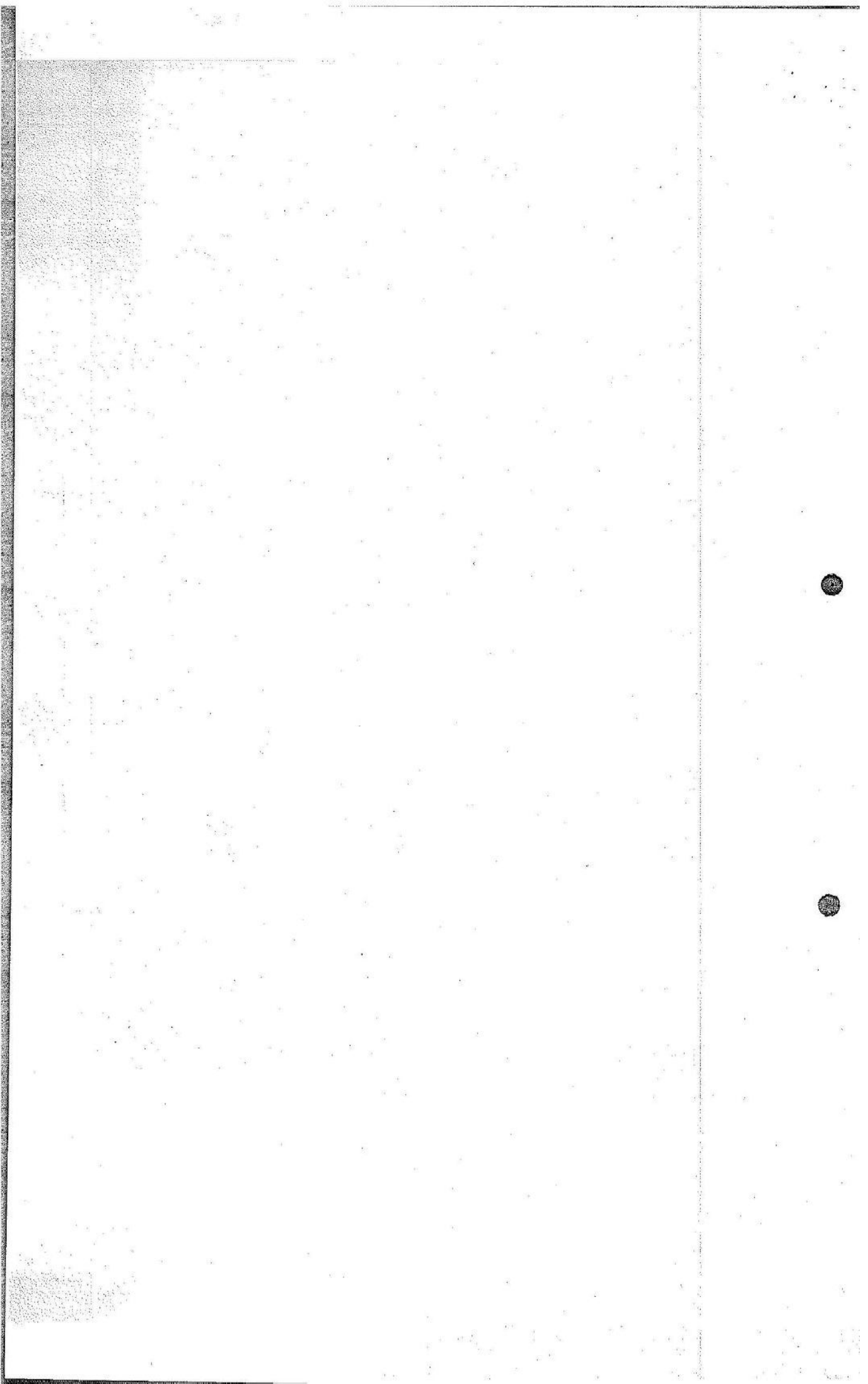
For Sank Projects Pvt. Ltd.
Raf
Director/Auth. Signatory

For Agarwal Associates Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



For Agarwal Associates Pvt. Ltd.



(6)

2. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) हकी सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है। यह भूमि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु क्रय की जा रही है जिसके लिये क्रेता के पास इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस भी है तथा स्टाम्प शासनादेश संख्या 2835/8-1-09-68 विविध/09 दिनांक 11.08.2009, जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिये गये निर्णयानुसार तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 48/सी0आर0सी0/11 दिनांक 31.01.2011 के अनुसार स्टाम्प नियमानुसार अदा किया जा रहा है।
3. विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड्ड रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है यानि हर प्रकार से सुरक्षित है।
4. विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है। उपरोक्त वर्णित/उल्लेखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय-पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में नती निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कहीं नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

For Agarwal Associates (Proprietors), P.L.

Director/ Auth. Signatory

Authorised Signatory

